

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 951/2017/बीकानेर.

मैसर्स ड्यूनेक मोटर्स (प्रा0) लिमिटेड,
एन.एच.15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 104/आरवेट/बीकानेर/2016-17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 09.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.9.2014 को अपीलार्थी व्यवहारी की जांच की जाने पर यह पाया गया था कि उनके द्वारा टाटा मोटर्स कम्पनी के ट्रकों को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किया गया था, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार आउटपुट टैक्स से अधिक इनपुट टैक्स की राशि को रिवर्स किया गया एवं स्वयं द्वारा रिवर्स नहीं किये जाने के कृत्य को करापवंचन का कृत्य मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए करापवंचन के अपराध में आरोपित की गई अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया, परन्तु रिवर्स की गई आई.टी.सी. को मय ब्याज यथावत रखा गया।
3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी का वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 के तहत दिनांक 21.2.2014 को पारित किया गया था परन्तु सर्वेक्षण दिनांक 19.9.2014



लगातार.....2



के बाद पुनः कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित करते हुए अधिक इनपुट का लाभ लिये जाने सम्बन्धी आरोपों के तहत उनके क्लेम को आउटपुट राशि से अधिक इनपुट राशि की सीमा तक रिवर्स किया गया है। उन्होंने कथन किया कि आउटपुट राशि से अधिक इनपुट राशि को रिवर्स करने सम्बन्धी प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के तहत समाविष्ट किये गये हैं परन्तु यह प्रावधान केवल उन मामलों में ही लागू होते हैं जहां पर किसी व्यवहारी द्वारा खरीदे गये माल को सब्सिडाइज्ड कीमत पर विक्रय किया जावे, परन्तु घटी हुई कीमत पर माल को विक्रय किये जाने की स्थिति में धारा 18(3)(ए) प्रभावी नहीं हो सकती एवं विक्रेता फर्म मैसर्स टाटा मोटर्स के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी गयी, ऐसी स्थिति में यह प्रावधान अपीलार्थी व्यवहारी पर लागू किया जाना विधि के विरुद्ध है।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आलौच्य अवधि में ट्रकों के चेसिस को उनके खरीद मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किया गया है तथा आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स कम वसूल किया गया, फलतः धारा 18(3)(ए) के प्रावधान लागू किये जाने योग्य है।


5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।


6. इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा खरीद राशि से कम कीमत पर माल के विक्रय किये जाने से आउटपुट टैक्स की राशि से अधिक प्राप्त इनपुट टैक्स राशि को अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के अनुसार कम किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के तहत किसी आई.टी.सी. की राशि के क्लेम को आउटपुट राशि की सीमा तक तभी कम किया जा सकता है जब खरीद गये माल को कम कीमत पर इस आधार पर बेचा गया कि उनके विक्रेता द्वारा किसी अन्य तरीके से कम मूल्य प्राप्ति को समायोजित करने हेतु किसी शीर्षक के तहत विक्रय राशि को सब्सिडाइज्ड किया गया हो अर्थात् माल का विक्रय सब्सिडाइज्ड मूल्य पर किये जाने की स्थिति में आउटपुट टैक्स की राशि से इनपुट टैक्स की राशि कम होने पर वह अन्तर राशि की आई.टी.सी. रिवर्स की जा सकती है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या यह दृष्टिगत है कि अपीलार्थी को अपने विक्रेता से सब्सिडी प्राप्त होने के कारण ही उनके द्वारा कम राशि पर माल का विक्रय किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी तरह का स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा न तो प्राप्त किया गया, न

इस मुख्य बिन्दु का कोई उल्लेख आदेश में किया गया है, ऐसी स्थिति में विधिक रूप से यह अनिवार्य है कि अपीलार्थी व्यवहारी की बहियात की जांच की जाकर यह रिकॉर्ड पर लिया जावे कि अपीलार्थी द्वारा कम मूल्य पर विक्रय किये जाने का सीधा कारण उन्हें प्राप्त होने वाली सब्सिडी है, क्योंकि व्यवसायिक जगत में कोई भी व्यवसायी लगातार प्रत्येक खरीद माल को हानि करते हुए विक्रय नहीं कर सकता। अतः इस प्रकरण में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि सैद्धान्तिक रूप से अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के तहत जो राशि रिवर्स की गयी है उसमें कोई अविधिकता नहीं है, परन्तु यह परीक्षण करना एवं उल्लेख करना आवश्यक था कि अपीलार्थी द्वारा माल का विक्रय सब्सिडाइज्ड मूल्य पर किया गया एवं उनके बहियात में अन्य तरीके से कोई राशि उन्हें प्राप्त हुई है, जिसके कारण कम मूल्य पर अर्थात् सब्सिडाइज्ड मूल्य पर माल विक्रय किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील केवल इस बिन्दु पर स्वीकार की जाती है कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समस्त बहियात प्रस्तुत कर यह प्रमाणित करें कि उनके द्वारा विक्रय किया गया माल कम मूल्य पर तो विक्रय किया गया है परन्तु इस हानि के लिये टाटा मोटर्स से उन्हें किसी भी तरह की सब्सिडी प्राप्त नहीं होती है। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि इस सम्बन्ध में पुनः आदेश पारित करते हुए प्रकरण में परीक्षण कर यह स्पष्ट विवेचना करें कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टाटा मोटर्स से सब्सिडी के रूप में राशि प्राप्त की जाकर कम मूल्य पर माल का विक्रय किया गया है अर्थात् सब्सिडाइज्ड मूल्य पर माल का विक्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1121-1123/2016/उदयपुर मैसर्स पास्को मोटर्स बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 03.01.2018 में दिये गये निर्णय का अध्ययन कर यदि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सब्सिडी प्राप्त किया जाना प्रमाणित होता है तो अधिनियम की धारा 18(3ए) के तहत आई.टी.सी. को रिवर्स किये जाने के आदेश को यथावत रखते हुए मय ब्याज पुनः आदेश पारित करें।

7. फलतः उक्त अनुसार विशिष्ट बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।


(क. एल. जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष